बनाम

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज
13.5.16 हरीराम अ.नि. [illegible] सीताराम	पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 18.5.16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (प्र.) [illegible]
18.5.16 अ.नि. ओमाराम पूनाराम अ.नि. सुखाराम अ.नि. [illegible]	पत्रावली आज लोक अदालत [illegible] के समक्ष पेश हुई। पक्षकारान [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] वादीगण [illegible] ग्राम [illegible] खसरा नं. 1604 की 7.02 बीघा का वादीगण [illegible] किशनाराम, [illegible], हरीराम, [illegible], सीताराम, ओमाराम, [illegible] को खातेदार [illegible] घोषित किया जाता है। [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (प्र.) [illegible]

(रा वा. स. 200/2016) (मिसाराम बनाम सिपुडी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प कोर्ट खजवाना

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

A2/1

राजस्व वाद संख्या :– 200/2016

1. मिसाराम पुत्र कानाराम गोद पुत्र चौथाराम जाति बावरी निवासी हाल ढाढरियाकलां तहसील डेगाना हाल मूण्डवा के कायम मुकामान
   1/1 जसीदेवी पत्नी मिसाराम
   1/2 शान्ति पुत्री मिसाराम
   1/3 सिवरी पुत्री मिसाराम
2. हरीराम पुत्र मिसाराम
3. पुरखाराम पुत्र मिसाराम
4. सीताराम पुत्र मिसाराम
5. ओमाराम पुत्र मिसाराम
6. पूनाराम पुत्र मिसाराम सभी जाति बावरी निवासी ढाढरियाकलां तहसील डेगाना हाल मूण्डवा जिला नागौर — वादीगण

बनाम

1. सिपूडी पत्नी चेनाराम जाति बावरी निवासी मूण्डवा
2. सुखराम पुत्र चेनाराम जाति बावरी निवासी मूण्डवा तहसील व जिला नागौर
3. तहसीलदार (एल.आर.) नागौर — प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता — वादीगण
1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

वाद घोषणा खातेदारी एंव रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय — दिनांक :– 18/5/16

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद घोषणा खातेदारी एंव रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

हाल खसरा नम्बर 1604 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा बनामी खेत बडमाता वाले वाके मौजा सरहद मूण्डवा पहले साबिका खसरा नम्बर 1376 का भाग था। उक्त खसरा नम्बर 1600 के वर्तमान पडौस इस प्रकार है– पूरब– कैलाशराम घेवरराम सुनार के कब्जे का खेत है, पश्चिम– कैलाशराम घेवरराम सुनार का कब्जे का खेत है, उत्तर– पडत राज की भूमि है, दक्षिण– बाबूलाल, वगैरा भाईयों का खेत का कोणा है।

उक्त खसरा नम्बर 1604 का नक्शा वाद के साथ पेश किया है। उक्त खेत पर वादी संख्या 1 के शामिल वादी संख्या 2 ता 6 का कब्जा काश्त संवत् 2010 से लेकर आज दिन तक शामलाती चला आ रहा है। तथागत बंदोबस्त के समय एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय उक्त खसरा का रकबा का काश्तकार भौतिक रूप से वादीगण सभी शामलाती रूप में थे तथा शामलात में काश्त कर शामलात में ही बिगोडी अदा करते थे तथा कभी कबार मूण्डवा के ही काश्तकार को हासिल पर देकर काश्त करवाते थे। काश्तकारी अनिधिनियम के प्रभाव में आने के समय वादीगण सभी शामलाती खातेदार कानूनन हो गये मगर बंदोबस्त अधिकारियों ने वादीगण सभी के नाम पट्‌टा जारी नहीं कर अकेले वादी संख्या 1 के नाम का पट्‌टा जारी कर दिया लेकिन इस पर आज दिन तक वादीगण का शामलाती काश्त कब्जा है तथा वादी संख्या 1 ने कभी भी अकेले के नाम रिकॉर्ड के आधार पर अकेले हक खातेदारी होने का हक नहीं जताया तथा शामिल में ही काश्त करसण करते आये लेकिन राजस्व रेकर्ड में सभी के नाम की खातेदारी होने की जानकारी वादीगण को हाल ही में दिनांक 29.06.2010 को खतौनी की नकले लेने पर हुई। वादीगण को अपने सभी के नाम की खातेदारी दर्ज करवाने का वाद पेश करने का हेतुक दिनांक 29.06.2009 को हो गया एंव खसरा नम्बर 1306 के सम्पूर्ण रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा की हक खातेदारी वादीगण के संयुक्त घोषित करवाने हेतु वाद वादीगण पेश है।

खसरा नम्बर 1604 के रकबे पर वादीगण की स्वयं की काश्त करसण ज्यादातर रही। वादी संख्या 1 उक्त रकबे के हक खातेदारी के साथ–साथ ग्राम ढाढरियाकलां में भी पुश्तैनी स्वर्गीय चौथाराम की खातेदारी का हकदार होने से ढाढरियाकलां में ज्यादातर रहता था तथा वादीगण भी ढाढरियाकलां में शामिल रहते थे तथा काश्त करसण मूण्डवा आकर काश्त करते एंव अभी हासिल पेटे अन्य व्यक्ति से एंव खास कर वादी संख्या 1 के बहनोई हजारी से काश्त करवाते इसलिए कभी कभी खसरा गिरदावरी में हजारी की काश्त गलती से दर्ज हो गई मगर हजारी ने इस खेत पर कभी कोई निजी काश्त नहीं की तथा हमेशा उक्त खेत पर हजारीराम ने वादी संख्या 1 की व वादीगण सभी की संयुक्त खातेदारी का होना जीवनभर स्वीकार किया व स्वयं ने सहयोग कर पर्चा लगान वादी संख्या 1 के नाम जारी करवाया काफी अर्सा हुए हजारीराम का देहान्त हो गया है। तत्पश्चात गत दो–तीन साल के लिए वादीगण ने इस खेत को हासिल

पेटे प्रतिवादी संख्या एक से काश्त करवाया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पैदावार की आधी पैादवार वादीगण को अदा कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की काश्त वादीगण की सहमति से इजाजत के अनुसार हुई तथा इससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उक्त खसरा पर कभी कोई हक व अधिकार पैदा नहीं हुए। ग्राम मूण्डवा मे गत कुछ माह से अम्बूजा सिमेंट, फेक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही चालू हुई हैं तब से अधिक कीमत मिलने की लालच में लोगों ने खेतों का हस्तान्तरण अम्बुजा को करने की होड लगा रखी है व कई लोग नाजायज कब्जे को अपना बताने के लालच में आ जाते हैं तथा ऐसा ही कोई संदेह वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 पर हुई तब वादीगण ने प्रतिवादी ही अवेरेंगे तथा इसी बात पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्ताव रखा कि यदि अम्बुजा में खेत का विक्रय होता है तो वह स्थानीय व्यक्ति है तथा ज्यादा कीमत दिलवाने हेतु व्यवस्था करेगी व ऐसी स्थिति में कुछ राशि उसे भी दी जावे। वादीगण को जब बाजार कीमत से ज्यादा राशि दिलाने का प्रस्ताव रखा तो वादी सं. 1 ने सहमति दे दी तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच अच्छा संबंध बनाये रखने के लिए वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ने वाकायदा स्टाम्प खरीदकर इकरारनामा निष्पादित करवाया तथा इकरारनामा में वादी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी व कब्जा सुदा खेत मूण्डवा में स्थित होना तथा उक्त खेत काश्त हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को देना तथा निष्पादित की तारीख को उक्त खेत का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पुनः वादी संख्या 1 को सौंप देने का तथ्य दर्ज करते हुए तथा भविष्य में उक्त खेत अम्बुजा से अधिक राशि में बिकने पर कुछ राशि प्रतिवादी संख्या 1 को देने की सहमति दर्ज करने हुए इकरारनामा निष्पादित कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उसी दिन दिनांक 28.07.10 को वादी संख्या 1 के हक में खसरा नम्बर 1604 उसे काश्त पर दिया जाने व इस खेत परसे प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त वापिस वादी संख्या 1 को सुपूर्द कर देने का तथ्य दर्ज किया तथा वादी संख्या 1 की खोतदारी व काश्त होना स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या की औलाद का इस खेत पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं होने का तथ्य स्वीकार करते हुए लिखित इकरारनामा निष्पादित कर उस पर अपने अंगूठा निशानी कर वाकायदा सत्यापित करवाकर मूल दोनों लिखित दिनांक 28.07.2010 वादीगण को सौंप दी जो वादीगण के पास है एवं वाद के साथ पेश की जा रही है। उक्त लिखित में भविष्य पर आधारित अम्बुजा से विक्रय इकरार पर राशि 250000/- अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये अदा करने का इकरार अपने आप आय में शून्य बातील एवं बेअसर व निष्प्रभावी है। वर्तमान में उक्त खेत में वादीगण के कब्जे की फसल बाजरी वादीगण के कब्जे में है तथा इस खेत के दक्षिणी सीमा के पास कच्ची ढाणी रिहायसी वादीगण ने बनाई है तथा वादीगण इस खेत पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इस पर कोई कब्जा काश्त अधिकार नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण 1 व 2 गांव में खेत को विक्रय नहीं होने देने की चर्चा कर रहे है व बिना अधिकार हक जताने की पीठ पिछे चर्चा करते है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने संयुक्त हक खातेदारी की घोषणा प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध एवं साथ ही रेकर्ड दुरूस्ती हेतु

प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध वाद पेश करने का अधिकार पैदा हुवा है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए वाद वादीगण वास्ते घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है।

वाद मुतदाविया सरहद मौजा मूण्डवा में वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त का संवत 2010 के आस पास से होने से तथा खसरा का हक खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से एवं इसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 29.06.2010 को होने से एवं तत्पश्चात इस पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का नहीं होने का व हक खातेदारी वादी संख्या 1 का होने का इकरार निष्पादन हो जाने से एवं तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पीठ पीछे हक जताने से वाद वादीगण पेश करने का वाद हेतुक दिनांक 29.06.2010 को ग्राम मूण्डवा तहसील नागौर में न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा होने से वाद पेश है।

कोर्ट फीस वास्ते घोषणा खातेदारी 1/— रूपया एवं वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती एक रूपया वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा 1 रूपया अन्य दादरसी हेतु एक रूपया कुल चार के कोर्ट फीस स्टाम्पवाद के साथ पेश है।

घोषणा खातेदारी एवं राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु वाद पेश किया जाने से तहसीलदार एल आर तहसील नागौर को पक्षकार दर्ज करना कानूनी आवश्यकता होने से तहसीलदार एल आर को पक्षकार दर्ज कर वाद पेश है।?

वाद वादीगण बहकवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि माफिक वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री सादिर फरमाई जाकर निम्नलिखित इस्तुआ सादिर फरमाई जावे—

खसरा नम्बर 1604 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा मूण्डवा तहसील नागौर वादीगण तमाम के बराबर संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का होने की घोषणा की जावे एवं इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक खातेदारी अथवा कब्जा नहीं होने की घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध वादीगण के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु हमेशा हमेशा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त खसरा के हक खातेदारी एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण तमाम की संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावे।

वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत हैः—

वाद के अनुच्छेद सं. 1 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। हाल खसरा नम्बर 1604 रकबा 7 बीगा 2 बिस्वा वाके मौजा मूण्डवा साबिक खसरा नम्बर 1376 से बना हुआ है। पड़ोस सही नहीं दर्शाए है। यह गलत है कि उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1604 रकबा 7 बीगा 2 बिस्वा भूमि पर संवत 2010 से लेकर आज दिन तक वादीगण का शामलाती कब्जा काश्त खातेदारी चली जा रही है। यह भी गलत है कि वादीगण बिगोडी अदा करते रहे हो। वादीगण द्वारा बीगोडी अदा करने मूण्डवा के लोगों से भूमि काश्त करवाने, काश्तकारी अधिनियम के

समय सभी वादीगण का शामलात खातेदार कानूनन हो जाने के समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। बंदोबस्त अधिकारियों का पटा जारी करते व खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कानूनन हक व अधिकार नहीं है। मीसाराम व उसके लड़को यानि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त खातेदारी नहीं रही है। यदि बंदोबस्त कर्मचारियों ने या बंदोबस्त अधिकारियों ने मीसाराम के नाम पट्टा जारी किया है या मिसाराम ने मिलावट कर पट्टा प्राप्त किया है तो वह बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया है। वादीगण का शामलात में अथवा अकेले का कभी भी कब्जाकाश्त वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी रहा है और न आजदिन है और न दावा पेश किया। उस रोज ही था। वादीगण को शुरू से ही इस बात की जानकारी रही है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण के खातेदारी कब्जे की भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी कब्जा की भूमि रही है और आज दिन भी प्रतिवादीगण का है। वादीगण ने खातेदारी घोषणा का वाद गलत पेश किया है।

वाद के पद संख्या 2 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। वादीगण सभी गांव ढाढरीया कलां के रहने वाले है। कभी भी मूण्डवा में आकर नहीं रहे है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूण्डवा के व्यक्तियों से काश्त करवाने तथा हजारी से काश्त करवाने, हजारी द्वारा वादीगण की खातेदारी स्वीकार करने के तमाम तथ्य झूठे व मिथ्या है। गत दो साल से वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सिपुडी से काश्त करवाने, सीपुडी द्वारा आधी पैदावार वादीगण को देने, प्रतिवादी संख्या एक की काश्त वादीगण की सहमति व इजाजत से होने तथा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को उक्त खसरा पर हक अधिकार पैदा नहीं होने वगैरह तमाम तथ्य झूठे व गलत है। अम्बुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगने के लालच में तथा अपने नाम खातेदारी का गलत इंद्राज हो रखे होने का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में वादीगण है। प्रतिवादी संख्या एक महिला जात है तथा पर्दा–नशीन अंगूठा छाप होने व प्रतिवादी संख्या 2 भोला भाला होने का वादीगण नाजायज फायदा उठा रहे है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक में किसी प्रकार की लिखापढ़ी लिखकर नहीं दी है। इस साल की पैदावार वादीगण की अवैरेगै। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अधिक कीमत दिलाने की व्यवस्था करने, बाजारू कीमत से ज्यादा राशि दिलाने का प्रस्ताव रखने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्टाप खरीद कर इकरार नामा निष्पादित करने, वादग्रस्त भूमिका कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर देने का लिखने, राशि प्रतिवादी को देने वगेरह के तमाम तथ्य झूठे व गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी ने कब्जा सुपुर्द करने की कोई बात ही नहीं लिखी और न ही प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने की बात ही स्वीकार की। वादीगण की फसल खडी होने एवं उनकी रिहायशी ढाणी बनी होने प्रतिवादीगण द्वारा बिना अधिकार के हक जताने की तमाम बाते झूठी होने से अस्वीकार है। वादीगण को वाद पेश करने हेतु कोई वाद हेतुक पैदा नहीं हुआ तथा वादीगण खातेदारी घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी मीसाराम के नाम गलत दर्ज हो रखी है। लगभग साल भर पहले मीसाराम प्रतिवादी के पास

आया और बताया कि प्रतिवादी की जमीन अंबुजा सिमेंट वाले ले रहे है और उसके बदले में अंबुजा वाले अच्छी रकम देंगे। अंबुजा कंपनी से अच्छी रकम दिलाने का विश्वास दिला कर मीसाराम चार पांच खाली कागजों व स्टांपों पर प्रतिवादी के अंगूठे करवा कर ले गया था। वादी के दावे से प्रतीत होता है कि उसने खाली कागजों व खाली स्टांपों का दुरूपयोग करते हुए झूठी व कूट रचित लिखापढीयां तैयार कर ली है। ऐसी लिखापढीयां से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है और न ही वादी को अधिकार प्राप्त हो सकते है।

वाद के पद संख्या 3 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद के उपर के अनुच्छेदों मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया है, जिनका जवाब उपर के अनुच्छेदों में दिया जा चुका है।
वाद के पद संख्या 4 के तथ्य माननीय न्यायालय के गौर के है।
वाद का पद संख्या 5 का बिल गोर अदालतवाला के है।
वाद का पद संख्या 6 में बताया किसी प्रकार का अनुतोष वादी प्राप्त नहीं कर सकता है।

वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1604 रकबा 7 बीगा 2 बिस्वा भूमि वाके मौजा मूण्डवा जो साबिक खसरा संख्या 1376 से बनी है, एकमात्र प्रतिवादी संख्या एक सीपुडी के दादासुसर तथा प्रतिवादी सुखराम के दादा तुलछाराम पुत्र केसीया के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है। प्रतिवादी व उनके बडैरों का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उससे पहले से वादग्रस्त भूमि- पर चला आ रहा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने पर इ–आपरेशन आफ ला. प्रतिवादी व उनके बडैरों को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी मिल गई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि एकमात्र प्रतिवादी सीपुडी व सुखराम के खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है तथा बडेरों के समय से इस भूमि में बनी उपनी ढाणी में निवास करते है।
वादीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त खातेदारी नही रही है। वादी मीसाराम ने राजस्व कर्मचारियों वगैरह से मिलावट कर अपने नाम से खातेदारी का गलत अंकन करवाया है। सभी वादी गांव ढारीया में पीढीयों से रहते है और कभी भी गांव मूण्डवा में नहीं रहे है।
प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में कभी भी वादीगण द्वारा व उनके पूर्वजों के कब्जे को वादीगण ने पिछले साठ से भी अधिक बरसों से शान्तिपूर्वक बिना किसी भी रोक टोक के स्वीकार कर प्रतिवादीगण की खातेदारी को मंजूर किया है। वादीगण का पिछले साठ सालों से वादग्रस्त पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही होने से यदि किसी प्रकार के हक एवं अधिकार थे तो भी वे समाप्त हो चुके है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के कब्जे के अभाव में वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाबदेही बंद की गई।

वादी/प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश कर वादी संख्या 1 मिसाराम के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी वकील ने

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी स्वीकार किया गया।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मौजा मूण्डवा के खसरा नम्बर 1604 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के पूर्वज मिसाराम व उनके कायम मुकामान, वादीगण संयुक्त कब्जा काश्त एंव खातेदारी का खेत था। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहमत है। राजीनामा अनुसार वाद वादी माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ताओं ने वादपत्र व राजीनामा में वर्णित कथनो को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ग्राम मूण्डवा के खसरा नम्बर 1604 की 7.02 बीघा भूमि का वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया है। अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2066–69, 2022–25, 2030–33, 2062–65 जिसमें मिसाराम वल्द काना बावरी को खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है, जो वादीगण के पिता है। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया है। जो स्वीकार करते हुए ग्राम मूण्डवा के खसरा नम्बर 1604 की 7.02 बीघा का वादीगण जसी पत्न मिसाराम, शांति पुत्री मिसाराम, शिवरी पुत्री मिसाराम, हरीराम, पुरखाराम, सीताराम, ओमाराम, पूनाराम पुत्रगण मिसाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/5/16 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर